

167-Policy

998/PCT 711/2020
07-10-2020

C-998064/CGST

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-S) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No. F.3(47)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/104

Dated: 30/8/20

Notification No. 19/2020- State Tax

No. F.3(47)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

- authorised signatory of all types;
- Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
- Karta of a Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST.

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

- This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Mahoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 30/8/20

No.F3(47)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 104

Copy forwarded for information to:-

- The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- Guard File.
- Website.

(Mahoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Ms. Parvati Singh, I T Cell

12/10/2020

13.10.20
Sd/- (Mamta)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनाधी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

संका. 3(47)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/104

दिनांक. 30/8/20

अधिसूचना संख्या 19/2020-राज्य कर

संका. 3(47)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 25 की उपधारा (अ) द्वारा प्रस्ताव शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसर की शिफारशी पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे -

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
- (ख) किसी भागीदारी कर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार, और
- (ग) किसी हिन्दू अधिनिका सुदुग्ध का कर्ता,

दिल्ली माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रारकरण का पात्र होने के लिए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे हमने इसके परिणाम, उक्त नियम अंश 8 के नियम 8 में संधारित/विनिर्दिष्ट अन्वय संख्या होने का अधिग्रहण करवाएगा) -

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्या नहीं दिया गया है तो यह सक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट सीमा में महसूल का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य सन्धान देना।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)
उप सचिव-IV (वित्त)

संका. 3(47)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/104

दिनांक. 30/8/20

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रसारित:

1. प्रधान सचिव, भागीधर उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित अलग की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनाधी।
3. मुख्य (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. भागीधर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साइट।


(मनोज कुमार)
उप सचिव-IV (वित्त)

12/10/20

Art (Manoj)